न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 7/2023

निर्णय दिनांक :– 22.12.2023

उनवानी दावाः

दयाराम पुत्र देवीलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी बरदपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 **–वादीगण–**

बनाम

1. धमेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव जाति रेगर उम्र बालिग निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, ऊंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
2. रामप्यारी पुत्री सुरजमल जाति धोबी उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज०
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता वादी

श्री प्रेम चन्द जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 2

दावा बाबत विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 10.10.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ/2754 दिनांक 14.12.2023 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 204 ख. नं. 3434 रकबा 0.42 है0, कुल किता–01, कुल रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली

तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिकी पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान	किस्म
1	दयाराम पुत्र देवीलाल हि. पूर्ण जाति बलाई सा. बरदपुरा तह. जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	3434/1	0.21	1.68	बरानी–1
	योग	किता–1	0.21	1.68	
2	धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव हि. 17/24 जाति रेगर सा. अम्बेडकर कॉलोनी उंचा तह. जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा खातेदार व रामप्यारी पुत्री सूरजमल हि. 7/24 जाति धोबी सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित	3434/2	0.21	1.68	बरानी–1
	योग	किता–1	0.21	1.68	

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की हिस्से की खातेदारी भूमि में कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व मदामहत नहीं करे। वाद की पालना तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तदनुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.12.2023 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिकी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

दयाराम पुत्र देवीलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी बरदपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 —वादीगण—

बनाम

4. धमेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव जाति रेगर उम्र बालिग निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, ऊंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0
5. रामप्यारी पुत्री सुरजमल जाति धोबी उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोक राज०
6. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0 —प्रतिवादीगण—

दावा बाबत विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 7 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अनिल चौहान अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री प्रेमचन्द जैन प्रतिवादी संख्या 1 व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2074--77 के खाता संख्या 204 ख. नं. 3434 रकबा 0.42 है0, कुल किता–01, कुल रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिकी पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान	किस्म
1	दयाराम पुत्र देवीलाल हि. पूर्ण जाति बलाई सा. बरदपुरा तह. जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	3434 / 1	0.21	1.68	बरानी–1
	योग	किता–1	0.21	1.68	

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव हि. 17/24 जाति रेगर सा. अम्बेडकर कॉलोनी उंचा तह. जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा खातेदार व रामप्यारी पुत्री सूरजमल हि. 7/24 जाति धोबी सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित	3434/2	0.21	1.68	बरानी–1
योग	किता–1	0.21	1.68	

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की हिस्से की खातेदारी भूमि में कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व मदामहत नहीं करे। वाद की पालना तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....
..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तख्त ......(हस्ताक्षर) 22/12/23......

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)..............

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।